न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस. केम्प कोर्ट जानियाना

मुकदमा नंबर :– 165/2021

प्रार्थी :–

श्री आसुराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट निवासी घड़ोईनाडी
तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. श्री सुराराम पुत्र श्री भारूराम
2. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैंक कम पीएनबी. खेड़ रोड़ बालोतरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री अचलाराम थोरी प्रार्थी वकील

आदेश दिनांक :–12.10.2021

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा घड़ोई नाडी के खसरा संख्या 376/11 से आवागमन हेतु खसरा संख्या 377/11 तक विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से दो गट्टा चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी उप तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 12.10.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा घड़ोई नाडी के खेत खसरा न0 376/11 जो प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ही न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 3[illegible] [illegible] रास्ता दो गट्टा चौडाई के आधार पर 08 बिस्वा होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एंव विप्रार्थी के स्वंय को सुना एवं पत्रावली का [illegible] से [illegible]कन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी सरहद मौजा घड़ोई [illegible]ी के खसरा संख्या 376/11 से आवागमन हेतु खसरा संख्या 377/11 तक विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से दो गट्टा चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित अनुसार दर्शाये गये हिस्से ए से बी अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 377/11 ग्राम घड़ोई नाडी की कटान रास्ते से जुडती

प्रस्तावित 08 विस्वा भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगनी राशि 28080/ रूपये होते है जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा घड़ोई नाडी के खसरा संख्या 376/11 से आवागमन हेतु खसरा संख्या 377/11 तक विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से दो गट्टा चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार है जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकि प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा घड़ोई नाडी के खसरा संख्या 376/11 से आवागमन हेतु खसरा संख्या 377/11 तक विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से 08 विस्वा चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु प्रस्तावित 08 विस्वा भूमि की डी0एल0सी0 दर से 14040/ रूपये होते है की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 28080/– रूपये विप्रार्थीगण संख्या 1 को भुगतान करने हेतु तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2021 में चिन्हित किया गया परिशिष्ट 'अ' में ए से बी बरंग लाल इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प जानियाना में मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:50 IST
Reason: SelfAttested